**कार्यालय मुख्य आयुक्त**
Office of the Chief Commissioner
**सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर**
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur

फा. सं.: GCCO/II/3/POST/16/2025-ADMN

**स्थापना आदेश सं. : 41/2025**
दिनांक : 09.09.2025

इस कार्यालय द्वारा निरीक्षक श्रेणी में ऋण आधार पर पदस्थापना हेतु जारी रिक्ति परिपत्र सं. CCO/01/2025 दिनांक 21.05.2025 के संदर्भ में प्राप्त आवेदन तथा सम्बंधित परिक्षेत्र से प्राप्त अनापत्ति एवं सतर्कता प्रमाण पत्र के आधार पर श्री अंकुर गोयल, निरीक्षक (जन्मतिथि- 02.03.1994) सीजीएसटी एवं के.उ.शु., अहमदाबाद परिक्षेत्र को, दो (02) वर्ष की अवधि के लिए इस आदेश में वर्णित शर्तों के अनुसार, 'ऋण आधार' पर, सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर परिक्षेत्र में स्थानांतरित किया जाता है:-

2. **शर्तें:**

(i) उपरोक्त निरीक्षक का ऋण आधार पर कार्यकाल उनके सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर परिक्षेत्र में कार्यभार ग्रहण की तिथि से प्रभावी होगा।
(ii) सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर परिक्षेत्र में पदस्थापन के दौरान, उपरोक्त निरीक्षक के वेतन और भत्तों से संबंधित भुगतान उनके मूल ज़ोन/आयुक्तालय द्वारा वहन किए जाएंगे। उनकी सेवाएं भी उनके मूल ज़ोन में ही मानी जाएंगी, अर्थात् वे अपने मूल ज़ोन की कार्यबल में शामिल रहेंगे तथा उन्हें किसी भी प्रकार का विशेष वेतन, भत्ता आदि देय नहीं होगा।
(iii) इस ऋण आधार पर स्थानांतरण हेतु कोई स्थानान्तरण भत्ता और कार्यग्रहण अवधि देय नहीं होगी।
(iv) उक्त अधिकारी सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर परिक्षेत्र में पदोन्नति, पुष्टि, वरिष्ठता आदि के पात्र नहीं होंगे।
(v) उक्त अधिकारी का सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर परिक्षेत्र के क्षेत्राधिकार में कहीं भी पदस्थापन/ स्थानान्तरण किया जा सकता है।
(vi) उक्त अधिकारी को किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए, उनके मूल परिक्षेत्र में वापस भेजा जा सकता है।

3. उपरोक्त अधिकारी को शीघ्र कार्यभारमुक्त कर आदेश जारी होने की तिथि के 30 दिवसों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को रिपोर्ट करने के लिए निर्देशित किया जाता है। यदि वे निर्धारित तिथि तक रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो यह आदेश बिना किसी आगामी सूचना के रद्द समझा जाएगा।

यह आदेश मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर परिक्षेत्र की संस्वीकृति से जारी किये जा रहे हैं।

Digitally signed by
NISHTHA SHARMA
Date: 10-09-2025
11:04:11
(निष्ठा शर्मा)
संयुक्त आयुक्त

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –
1. प्रधान मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एवं के.उ.शु., अहमदाबाद परिक्षेत्र ।
2. प्रधान आयुक्त, सीजीएसटी, अहमदाबाद दक्षिण आयुक्तालय ।
3. सम्बंधित अधिकारी।
4. गार्ड फ़ाइल/ नोटिस बोर्ड।
5. वेबमास्टर – परिक्षेत्रल वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।